12.7.22 वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 950/815 (815/851) रकबा 1.6691 है बाके ग्राम भैसेना खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 आराजी खसरा नम्बर 885/815 रकबा 1.2898 हे. बाके ग्राम भैसेना के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 लगायत 10 अपनी-अपनी आराजी पर लम्बे समय से काबिज है प्रार्थी का कब्जा जिस स्थान पर है वह दक्षिण दिशा की ओर लगती आराजी पर है, प्रार्थी के कब्जे की आराजी उत्तर दिशा के अप्रार्थीगण क्रमांक 2 लगायत 10 की आराजी खसरा नम्बर 885/815 स्थित है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण इसी अनुसार काबिज है।

प्रार्थी/अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान की जो तरमीम नक्शा अक्स में हो रही है वह मौके के विपरीत है, बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार

आराजी के मुताबिक गलत तरमीम कर रखी है आराजी के अधिकारी क्रमांक 1 ने बिना किसी सुनवाई के अनावेदक की तरमीम कर गलत कर दी, जबकि तरमीम किसके आदेश से की इस बाबत अभिलेख में कोई उपलब्ध नहीं है, उक्त गलत तरमीम से प्रमाणित यह हुआ कि जिस स्थान पर प्रार्थी का कब्जा है वहाँ पर अनावेदक 2 लगायत 10 की तरमीम तथा 2 लगायत 10 के स्थान पर प्रार्थी की तरमीम कर दी है। अतः नक्शे में तरमीम दुरुस्त की जावे।

प्रकरण में तहसीलदार (धौलपुर) द्वारा आदेश क्रमांक 225 दिनांक 6.8.22 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि आराजी खसरा नम्बर 950/815 रकबा 1.6691 वाके ग्राम [illegible] पर जगदीश पुत्र [illegible] प्रार्थी हिस्सा [illegible] खातेदार काश्तकार है, आराजी खसरा नम्बर 885/815 रकबा 1.2846 हैक्टेयर नेकीचंद हि 1/5 मंगलसिंह हि 1/15 मुन्ना, मलखान हि 1/15, मामा हि 1/6, राजो हि 1/6 रामप्रकाश नाबालिगान हि 1/6, रामविलास 1/15, सुघरसिंह हि 1/15 खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 950/815 की आकृति नक्शा लट्ठा में बंदोबस्त से बनी हुई है जिसमें खसरा नम्बर 815/851 अंकित था, जिसे बदलकर 950/815 लाल स्याही से अंकित किया गया। जमाबंदी सम्वत 2056-59 तक खसरा नम्बर 815/851 रकबा 6-12 बीघा अंकित है, तत्पश्चात जमाबंदी सम्वत 2060-63 कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर 815/851 को बदलकर 950/815 अंकित किया जो वर्तमान में भी 950/815 अंकित है।

खसरा नम्बर 885/815 की आकृति परवार नक्शा में तरमीम की जाकर बनाई गई है। को उभयपक्षकारान की मौजूदगी में आराजी खसरा नम्बर 885/815 एवं 950/815 की संयुक्त

हुक्म की तामील में जारी हुये

भाइयों के ने लिये मौका पर्चा में [illegible] से प्रदर्शित किया है पर वास्तविक [illegible] है जो कि, दोनो खातेदारो की वास्तविक भूमि का नक्शा आता है। इस प्रकार खातेदारो की संयुक्त आराजी हेतु मौका पर्चा मे [illegible] से प्रदर्शित किया है, पर वास्तविक [illegible] है जो कि, दोनो खातेदारो की वास्तविक भूमि का नक्शा आता है।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 द्वारा विवादित आराजी 930/215 (38/80) व खसरा नम्बर 885/815, वाके ग्राम बैरेना तहसील व धौलपुर ~~द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट~~ की तरमीम करने व तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार किये जाने में सहमति जाहिर की।

पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस का मनन किया प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी पर वर्तमान रिकार्ड में उपलब्ध तरमीम सही नहीं है एवं ना ही खातेदारो के कब्जे अनुसार है अतः तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा तरमीम कब्जे अनुसार नहीं है। मौका पर्चा रिपोर्ट मे खातेदारो के हिस्से के कब्जानुसार नजरीनक्शा प्रस्तुत किया है।

उक्त नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 ने सहमति जाहिर की है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

की धारा 121 के अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी [illegible] के की गई गलतियों का सही [illegible]

अभ्यावेदन की तहसीलदार [illegible] धौलपुर की रिपोर्ट के अनुसार [illegible] आराजी की तरमीम दुरस्त [illegible] किया जाना उचित [illegible] है।

अतः आदेश है कि निम्नांकित आराजी खसरा नम्बर 950/85 (215/85) व खसरा नम्बर 225/85 मौजा [illegible] तहसील व जिला धौलपुर की [illegible] में दर्ज तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत [illegible] रिपोर्ट में तैयार नजरी नक्शा/मानचित्र के अनुसार तरमीम की जावे। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)